The Uttar Pradesh Taxation Laws Amendment Act, 1963

Act 14 of 1963

Keyword(s):
Court Fees Act, 1870, Indian Stamp Act, 1899, Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

THE UTTAR PRADESH TAXATION LAWS AMENDMENT ACT, 1963*

[U. P. ACT NO. XIV OF 1963]

[*Authoritative English*† *text of the Uttar Pradesh Kar—Vidhi Sanshodhan Adhiniyam*, 1963]

AN

ACT

to amend certain taxation laws in Uttar Pradesh

WHEREAS it is expedient further to amend the Court Fees Act, 1870 and the Indian Stamp Act, 1899, as amended in their application to Uttar Pradesh and the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948, for purposes hereinafter appearing ;

Act no. VII of 1870 Act no. II of 1899.

U. P. Act no. XV of 1948.

IT is hereby enacted in the Fourteenth Year of the Republic of India as follows :

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Taxation Laws Amendment Act, 1963.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the *Gazette* appoint.

Amendment of Schedule II of Act no. VII of 1870.

2. In the Court Fees Act, 1870, in Schedule II—

(*a*) in article no. 1—

(i) against clause (*b*) for the words 'One rupee and twenty-five naye paise' wherever they occur, the words, 'One rupee and fifty naye paise' shall be *substituted* ;

(ii) against clause (*c*), for the words 'Two rupees and fifty naye paise', the words 'Three rupees' shall be *substituted* ; and

(iii) against clause (*f*), for the words 'Two rupees and fifty naye paise' and the words 'Five rupees', the words 'Five rupees" and the words "Ten rupees" respectively, shall be *substituted* ;

(*b*) in article no. 10, for the words "One rupee and twenty-five naye paise" and the words "Two rupees and fifty naye paise," the words "One rupee and fifty naye paise" and the words "Three rupees", respectively, shall be *substituted* ;

---

*For Statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated March 30, 1963.

Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 5, 1963 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 10, 1963.

Received the assent of the President on May 10, 1963, under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated May 13, 1963.

†Published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated May 13, 1963.

(*c*) in article no. 17, for the words "Twenty-five rupees", the words "Thirty rupees" shall be *substituted* ; and

(*d*) in article no. 22—

for clauses (*a*) and (*b*) the following shall be *substituted*:

"(*a*) As a President, Vice-President or Adhyaksha, Upadhyaksha, Nagar Pramukh, or Up Nagar Pramukh of a Municipal Board, Zila Parishad or Nagar Mahapalika or any other local body except those mentioned in clause (*c*).	Two hundred rupees.
(*b*) As a Sadasya or Vishishta Sadasya of a Nagar Mahapalika or as a member of a Municipal Board or Zila Parishad or any other local body except those mentioned in clause (*d*)."	One hundred and fifty rupees.

Amendment of Schedule I-B of Act no. II of 1899.

3. In Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899—

(1) in article no. 5, clause (*a*), under the head Exemptions, shall be *deleted* ;

(2) in article no. 24, for the words "two rupees" the words "three rupees" shall be *substituted* ;

(3) in article no. 46, for the word and figure "Rs. 5,000" the word and figure "Rs. 4,000" shall be *substituted* ; and

(4) in article no. 55 for the word and figure "Rs. 3,000" the word and figure "Rs. 2,000" shall be *substituted.*

Amendment of sections 2 and 3-A of U. P. Act XV of 1948.

4. In the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948—

(1) In section 2, after clause (*a*), the following new clause shall be *inserted* and shall be deemed always to have been *inserted* :—

"(*aa*) 'business of buying or selling' includes such business carried on without the motive of making profit";

(2) in sub-section (2) of section 3-A, for the words "seven naye paise" the words "ten naye paise" shall be *substituted*; and

(3) in section 10, after sub-section (4), the following sub-section shall be *added*—

"(4-A) The Revising Authority may transfer any case or class of cases pending before himself to any additional Revising Authority and likewise transfer any case pending before an additional Revising Authority to another additional Revising Authority or to himself,"

PSUP—A. P. 15 Genl. (Leg)—1963. 1,770+32+50,(M).

187302

L. A.
15/78·11A
Cap.

विधान [illegible]
(राजकीय [illegible])
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1978]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 20 अप्रैल, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 25 अप्रैल, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 26 अप्रैल, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खंड (क) में दिनांक 27 अप्रैल, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों और कार्यवाहियों को विधिमान्य करने और उससे आनुषंगिक या सम्बद्ध विषयों के लिए उपबन्ध बनाने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1978 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

Price 70 n. p.

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 12 अप्रैल, 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग-3-खंड (क) देखिये]

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1948 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में, खण्ड (झ) में, स्पष्टीकरण (2) में, उपखण्ड (1) में शब्द "प्रतिष्ठान के व्यय के, जब कि ऐसा व्यय पृथक् रूप से लिया गया हो" के स्थान पर शब्द "प्रतिष्ठान के व्यय के या बिक्री या क्रय-कर के रूप में वसूल की गयी धनराशि के, जबकि ऐसा व्यय या धनराशि पृथक् रूप से ली गयी हो" रख दिये जायेंगे और चार नवम्बर, 1974 से पच्चीस मई, 1975 की अवधि को छोड़ कर सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द 'पच्चीस हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'पचास हजार रुपये' रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से रखे गये समझे जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

"(4) जब उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट, या उसके अधीन विज्ञापित, धनराशि किसी कर-निर्धारण वर्ष में परिवर्तित कर दी जाय, तब किसी व्यापारी द्वारा इस धारा के अधीन देय कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :—

(क) इस प्रकार परिवर्तन के पूर्व की अवधि से सम्बन्धित विक्रय-धन पर मानों उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विज्ञापित धनराशि परिवर्तित न की गयी हो; और

(ख) शेष पर, मानों परिवर्तित धनराशि सभी सारवान् दिनांक पर प्रवृत्त रही हो।"

धारा 3-क का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3–क में, उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (क) में, अन्त में आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जायगा; और

(दो) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे और दिनांक एक अप्रैल, 1978 से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्—

"(ख) सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब जिसमें मेथाइल अलकोहल सम्मिलित है किन्तु देशी शराब सम्मिलित नहीं है और जिसमें संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 में यथा परिभाषित अलकोहल भी नहीं है, के विक्रय धन पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर बीस प्रतिशत की दर पर या पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे;

(ग) प्रथम अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर, अनुसूची के स्तम्भ तीन में विनिर्दिष्ट स्थल पर, पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे और उक्त अनुसूची में किसी प्रविष्टि में समाविष्ट भिन्न-भिन्न माल के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दरों की घोषणा की जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) पाम आयल के सम्बन्ध में निर्माता या आयातकर्ता के विक्रय-धन पर आठ प्रतिशत की दर पर या पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, कर देय होगा; और

(2) राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम अनुसूची से किसी माल से सम्बन्धित कोई प्रविष्टि निकाल सकती है और इस प्रकार निकाली गयी किसी प्रविष्टि को इसी तरह पूर्ववत् रख सकती है और किसी प्रविष्टि को निकालने या पूर्ववत् रखने की कोई ऐसी विज्ञप्ति के जारी किये जाने पर

उक्त अनुसूची, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तद्नुसार संशोधित समझी जायगी।"

धारा 3 क क क क का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा—3—क क क क में, शब्द 'धारा 3—क क क क में घोषणा-पत्र देकर' के पश्चात् शब्द 'या अन्यथा', और अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड, बढ़ा दिया जायगा और दिनांक पहली अप्रैल, 1974 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यापारी कर निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार यह प्रमाणित कर दे कि क्रय किये गये माल पर धारा 3—क क क क के अधीन पहले ही कर दिया जा चुका है तो इस धारा के अधीन कोई कर देय न होगा।"

धारा 3—घ का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 3—घ में,

(क) उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण 2 में, शब्द और अंक "या डिफेंस एण्ड इन्टरनल सिक्योरिटी आफ इंडिया रूल्स, 1971 के नियम 114 के अधीन" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3-क) में, शब्द "बारह हजार रुपये" के स्थान पर शब्द 'पचास हजार रुपये' रख दिये जायेंगे; और प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, खण्ड (3) निकाल दिया जायगा और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से, यथास्थिति, रखा गया या निकाला गया समझा जायगा।

धारा 3-ङ का निकाला जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 3—ङ निकाल दी जायगी, और सदैव से निकाली गयी समझी जायेगी।

धारा 4-ख का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 4—ख में, उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3, 3—क, 3—कक, 3—घ और 3—ङ" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3, 3—क, 3—कक, 3—कककक और 3—घ" रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, 1974 से रखे गये समझे जायेंगे;

(दो) शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3—ङ" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3—कककक" रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, 1974 से रखे गये समझे जायेंगे; और

(तीन) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा और दिनांक पहली मई, 1977 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(क—1) यदि धारा 3—घ की उपधारा (1) के अधीन कर-योग्य कोई घोषित माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा, जो उसका प्रथम क्रेता हो, किसी ऐसे दूसरे व्यापारी को, बेचा या सम्भरित किया जाय जिसके पास उसके सम्बन्ध में उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया विधिमान्य मान्यता का प्रमाण-पत्र हो तो वह व्यापारी, जिसने प्रथम क्रय किया, ऐसे क्रय के सम्बन्ध में और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो विज्ञप्ति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जायें, कर से मुक्त होगा या ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि धान के सम्बन्ध में इस खण्ड के अधीन किसी विज्ञप्ति को किसी ऐसे दिनांक से प्रभावी बनाया जा सकता है जो पहली मई, 1977 के पूर्व का दिनांक न हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को भी किसी ऐसे दिनांक से प्रभावी बनाया जा सकता है जो पहली मई, 1977 के पूर्व का दिनांक न हो।"

धारा 7—क का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 7—क में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "उपधारा (3)" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "उपधारा (3—क)" रख दिये जायेंगे और दिनांक दस फरवरी, 1972 से रखे गये समझे जायेंगे।

नई धारा 7—क और 7—च का बढ़ाया जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 7—घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

"7—ङ (1) निर्धारित रीति से अवधारित विक्रय-धन की धनराशि को, यदि ऐसी धनराशि दस रुपये के गुणक में न हो, निकटतम दस रुपये के गुणक में पूर्णांक किया जायगा, अर्थात्—दस रुपये के ऐसे भाग को जो पांच रुपये से कम हो, छोड़ दिया जायगा और किसी अन्य भाग को दस रुपया गिना जायगा। इस प्रकार पूर्णांक की गयी धनराशि को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए करदाता का विक्रय-धन समझा जायगा।

विक्रय धन, कर आदि को पूर्णांक करना

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, शुल्क, ब्याज, अर्थ-दण्ड या किसी अन्य धनराशि को या वापस करने योग्य धनराशि को, यदि ऐसी धनराशि में एक रुपये का भाग हो, निकटतम रुपये में पूर्णांक किया जायगा, अर्थात् एक रुपये के ऐसे भाग को, जो पचास पैसे से कम हो, छोड़ दिया जायगा और किसी अन्य भाग को एक रुपया गिना जायगा ।

7-च—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए अल्प धनराशि की अन्तर्ग्रस्त धनराशि पांच रुपये से कम हो तो इस अधिनियम के अधीन वसूली या वापसी कोई ऐसा कर, शुल्क, ब्याज या अर्थ-दण्ड न तो वसूल किया जायगा को छोड़ दिया और न ऐसी वापसी की अनुज्ञा दी जायगी ।"
जाना ।

धारा 8-क का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 8-क में, निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से किये गये समझे जायेंगे, अर्थात् :—

(क) उपधारा (1) में:—

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द और अंक "25,000 रु0 से अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अथवा धारा 3-घ की उपधारा (3) के, जैसी भी दशा हो, अधीन विज्ञापित की जाय" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "30,000 रुपये से या ऐसी अधिक धनराशि से जो, यथास्थिति, धारा 3 की उपधारा (2) के या धारा 3-घ की उपधारा (3-क) के अधीन विज्ञापित की जाय" रख दिये जायेंगे; और

(दो) खण्ड (घ) में, शब्द और अंक "25,000 रु0 के अथवा ऐसी अधिक धनराशि के, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अथवा धारा 3-घ की उपधारा (3) के, जैसी भी दशा हो, अधीन विज्ञापित की जाय" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "30,000 रु0 के या ऐसी अधिक धनराशि के जो, यथास्थिति, धारा 3 की उपधारा (2) के या धारा 3-घ की उपधारा (3-क) के अधीन विज्ञापित की जाय" रख दिये जायेंगे;

(तीन) शब्द "रजिस्ट्री के लिए" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, रजिस्ट्री या नवीकरण के लिए" रख दिये जायेंगे, और अन्त में आये हुए शब्द "व्यापारी द्वारा रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र कर-निर्धारण वर्ष के लिए या उसकी स्वेच्छा से और अधिक अवधि के लिए, जो एक बार में तीन वर्ष से अधिक की न होगी, दिया जा सकता है ।"

के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

"कर निर्धारण वर्ष 1978-79 से रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र तीन कर निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए दिया जायेगा और अनुवर्ती नवीकरणों के लिए प्रार्थना-पत्र प्रत्येक तीन वर्ष के लिए दिया जायेगा जिसे आगे त्रैवार्षिक नवीकरण कहा गया है ।"

(चार) अन्त में निम्नलिखित, प्रतिबन्धात्मक खण्ड और स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यापारी जो इकतीस मार्च, 1979 के पश्चात् किसी समय व्यापार प्रारम्भ करता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण त्रैवार्षिक नवीकरण की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी समय समाप्त होता है, ऐसी कम अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण या, यथास्थिति, नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता है जो ऐसे दिनांक को समाप्त होती हो जिसके पश्चात् उक्त उपबन्धों के अधीन आगामी त्रैवार्षिक नवीकरण अपेक्षित होता हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पहली अप्रैल, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र 30 जून, 1978 तक प्रस्तुत किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण—खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित का प्रोग विक्रय धन होगा—

(1) धारा 3-घ की उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित माल के क्रय का क्रय-धन या विक्रय का विक्रय-धन जो भी अधिक हो;

(2) अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर योग्य क्रय का क्रय-धन, और

(3) सभी अन्य माल के विक्रय का विक्रयधन ।"

(ङ) उपधारा (1-क) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ग) किसी कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए व्यापारी द्वारा पचहत्तर रुपये का शुल्क देय होगा। किसी कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिए रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए व्यापारी द्वारा पचास रुपये का शुल्क देय होगा।";

(ग) उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, जहां कहीं भी शब्द "या क्रय कर" आये हों, निकाल दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (4) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "अड़तालिस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" और शब्द "चार हजार रुपये", जहां कहीं भी आयें हों, के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये के बारहवें भाग" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "क्रय या विक्रय-कर" के स्थान पर शब्द "विक्रय-कर" रख दिये जायेंगे; और

(ङ) उपधारा (5) निकाल दी जायेगी।

धारा 9 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 9 में, निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा और पहली अप्रैल, 1978 से किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "व्यापारी जिसे" के स्थान पर शब्द "व्यापारी या कोई व्यक्ति जो" और शब्द "पर आपत्ति हो" के स्थान पर शब्द "से क्षुब्ध हो" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(3-क) अपील सुनने वाला अधिकारी अपीलकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर, और बिक्री-कर कमिश्नर को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, अपीलकर्ता द्वारा देय कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की धनराशि की वसूली स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) इस उप धारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे उपधारा (1) के अधीन अपील के साथ प्रस्तुत न किया जाये, और जब तक कि अपीलकर्ता ने उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा जमा किये जाने के लिए अपेक्षित कर या शुल्क की धनराशि के अतिरिक्त, यथा-स्थिति, कर, शुल्क या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि की कम से कम एक-तिहाई धनराशि का भुगतान का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो;

(2) अपील सुनने वाला अधिकारी, विशेष और पर्याप्त कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, कर, शुल्क या अर्थदण्ड की एक-तिहाई धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती खण्ड की अपेक्षाओं से छूट दे सकता है या उन्हें शिथिल कर सकता है;

(3) इस उपधारा के अधीन कोई स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा, जब तक कि अपीलकर्ता ने, उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, उस धनराशि के भुगतान के लिये जिसकी वसूली स्थगित की गई हो, कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोषानुसार प्रतिभूति न दे दी हो।";

(ग) उपधारा (6) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली अपीलों" के स्थान पर शब्द "इस धारा के अधीन अपीलों या अन्य प्रार्थना-पत्रों" रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 10 में, शब्द "अपील या पुनरीक्षण" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "पुनरीक्षण" रख दिया जायेगा और पहली अप्रैल, 1978 से रखा गया समझा जायेगा।

धारा 11 और 11-क के स्थान पर नई धारा क' रखा जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 11 और 11-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण।

"11—(1) कोई व्यक्ति जो धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, उक्त आदेश के विरुद्ध, ऐसा आदेश तामील किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर उच्च न्यायालय में इस आधार पर पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है कि मामले में विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा आदेश सम्बद्ध व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1978 द्वारा यथा प्रतिस्थापित इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक के (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) पूर्व किसी समय तामील किया गया हो, और प्रार्थना-पत्र देने के लिए उपधारा (1) में, जैसी कि वह उक्त दिनांक के पूर्व थी, निर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की अवधि उक्त दिनांक को समाप्त न हुई हो तो क्षुब्ध व्यक्ति उक्त दिनांक से साठ दिन के भीतर पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) कोई व्यक्ति, जो पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के आदेश से जिसमें इस धारा के अधीन, जैसी कि वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, मामले का विवरण देने से इन्कार किया गया हो, क्षुब्ध हो, यदि उपधारा (4) के अधीन, जैसी कि वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने के लिए परिसीमा समाप्त न हुई हो, उक्त दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।

(3) यदि उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन, जैसी कि वे उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थीं, कोई प्रार्थना-पत्र पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि समाधान के लिए एक सौ बीस दिन की अवधि जैसा कि उक्त उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, समाप्त हो गयी है, तो ऐसा प्रार्थी धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध उक्त दिनांक से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए इस आधार पर आवेदन कर सकता है कि मामले में विधि-प्रश्न है।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके साथ खजाने का चालान न हो जिसमें शीर्षक "040—बिक्री-कर केन्द्रीय—राज्य बिक्री-कर अधिनियम के अधीन प्राप्तियां—(4) अन्य प्राप्तियां" के अन्तर्गत दो सौ पचास रुपये जमा करना दर्शित हो :

प्रतिबन्ध यह है कि बिक्री-कर कमिनश्र द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण की स्थिति में, ऐसी धनराशि जमा करना आवश्यक न होगा।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन, जैसी कि वे उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थीं, उच्च न्यायालय में समाधान (Reference) करने के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र, जो उक्त दिनांक को पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, उच्च न्यायालय को हस्तान्तरित हो जायेगा, और यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाय कि मामले में विधि-प्रश्न है तो वह उसे इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के रूप में ग्रहण कर सकता है और उसका निस्तारण तद्नुसार कर सकता है।

(6) यदि उच्च न्यायालय ने उक्त दिनांक के पूर्व पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी से उपधारा (4) के अधीन, जैसी कि वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी, मामले का विवरण समाधान के लिए उच्च न्यायालय को भेज देने की अपेक्षा की हो तो ऐसा अधिकारी, यथाशीघ्र, ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा और ऐसा समाधान इस धारा के अधीन पुनरीक्षण समझा जायेगा और उसका निस्तारण तद्नुसार किया जायेगा।

(7) पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के आदेशानुसार देय कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की वसूली, जिसे इस धारा के अधीन पुनरीक्षित करने की मांग की गयी हो, पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र का निस्तारण होने तक स्थगित नहीं की जायेगी, किन्तु यदि ऐसे पुनरीक्षण में दिये गये अन्तिम आदेश के परिणामस्वरूप ऐसे कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की धनराशि कम कर दी जाय तो अधिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(8) उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् अन्तर्ग्रस्त विधि-प्रश्न का निर्णय करेगा, और यदि ऐसे निर्णय के परिणामस्वरूप कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की धनराशि को फिर से अवधारित किया जाना अपेक्षित हो तो उच्च न्यायालय धनराशि का फिर से अवधारण करने के लिए निर्णय की एक प्रति, यथास्थिति, पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को भेज सकता है, और तदुपरान्त ऐसा अधिकारी ऐसा आदेश देगा जो उक्त निर्णय के अनुसार मामले का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हो।

(9) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबन्ध, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिये दिये गये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "कोई व्यक्ति" के अन्तर्गत बिक्री-कर कमिश्नर भी है।

धारा 18 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 18 में, शब्द और अंक "25,000 रुपया", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द और अंक "50,000 रुपया" रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से रखे गये समझे जायेंगे।

16—मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी और दिनांक पहली मार्च, 1973 से रखी गयी समझी जायेंगी, अर्थात्— धारा 22 का संशोधन

"(1) कर निर्धारक, अपील सुनने वाला, पुनरीक्षण या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, अभिलेख के देखने से ही प्रकट होने वाली किसी भूल का सुधार उस आदेश के, जिसमें सुधार किया जाना है, दिनांक से तीन वर्ष के भीतर, स्वप्रस्ताव से या व्यापारी या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस धारा के अधीन प्रार्थना-पत्र तीन वर्ष की उक्त अवधि के भीतर दिया गया है तो संबद्ध अधिकारी उसका निस्तारण तीन वर्ष के पश्चात् भी कर सकता है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, जिसका प्रभाव निर्धारित कर को बढ़ाना होगा, तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि संबद्ध अधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना संबद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसको सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया हो।"

17—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,— प्रथम अनुसूची का संशोधन

(क) वर्तमान प्रविष्टि 67 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

1	2	3
"67-क	पाम आयल	नि0 अथवा आ0" ;

(ख) वर्तमान प्रविष्टि 89 निकाल दी जायगी और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से निकाली गयी समझी जायगी।

18—(1) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0—दो—334/दस—1012—71, दिनांक 15 नवम्बर, 1971 को दिनांक पहली दिसम्बर, 1973 से विखंडित समझा जायेगा। विज्ञप्ति का संशोधन

(2) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0—दो—9060/दस—11(2)-75, दिनांक 2 जनवरी, 1976 में शब्द "तार तथा तार की जाली" के स्थान पर शब्द "तार की जाली" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

(3) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0—दो—9957/दस—11—(2)-75, दिनांक 6 फरवरी, 1978 जारी किये जाने के दिनांक से ही विखंडित समझी जायगी।

19—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, 1948 के नियम 25-क में,— नियम 25-क का संशोधन

(1) उप नियम (1) में, शब्द "जारी करने" के पश्चात् शब्द "या उसका नवीकरण करने" रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, 1976 से रखे गये समझे जायेंगे;

(2) उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम बढ़ा दिया जायगा और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(1-क) कर-निर्धारण वर्ष 1978—79 से मान्यता के प्रमाण-पत्र या उसके नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र तीन कर-निर्धारण वर्षों के लिए दिया जायगा और अनुवर्ती नवीकरणों के लिए प्रार्थना-पत्र प्रत्येक तीन वर्ष के लिए दिया जायगा जिसे आगे त्रैवार्षिक नवीकरण कहा गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यापारी जो 31 मार्च, 1979 के पश्चात् किसी समय व्यापार प्रारम्भ करता है या जिसकी मान्यता या नवीकरण त्रैवार्षिक नवीकरण की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी समय समाप्त होता है, यथास्थिति, मान्यता के प्रमाण-पत्र या उसके नवीकरण के लिए ऐसी कम अवधि के लिये आवेदन कर सकता है जो ऐसे दिनांक को समाप्त होती हो जिसके पश्चात् उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन आगामी त्रैवार्षिक नवीकरण अपेक्षित होता हो :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पहली अप्रैल, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र 30 जून, 1978 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।";

(3) उप नियम (3) में, शब्द और अंक "50 रुपये" और "25 रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक "100 रुपये" और "50 रुपये" रख दिये जायेंगे और दिनांक पहली अप्रैल, 1978 से रखे गये समझे जायेंगे;

(4) उप नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(5) उप नियम (1-क) और (12) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मान्यता का प्रमाण-पत्र, यथास्थिति, उप नियम (1) या उप नियम (1-क) के अधीन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से प्रभावी होगा।";

(5) उप नियम (11) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(12) 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र उक्त दिनांक से प्रभावी न रह जायेगा, और सम्बन्धित व्यापारी उसके नवीकरण के लिए इस नियम के उपबन्धों के अनुसार आवेदन कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण वर्ष 1976–77 या 1977–78 के नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र 30 जून, 1978 तक दिया जा सकता है, और उस दशा में नवीकरण संबद्ध कर निर्धारण वर्ष की पहली अप्रैल से प्रभावी होगा।"

वैधीकरण और संक्रमणकालीन उपबन्ध

20—(1) किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व कृत कोई कार्य या कार्यवाही, जो इस अध्याय द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो, वैसे ही विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण रही समझी जायेगी मानों इस अध्याय के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।

(2) यथास्थिति, कर निर्धारक, अपील सुनने वाला, पुनरीक्षण या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश में आयी किसी भूल का सुधार कर सकता है, यदि ऐसी भूल इस अध्याय द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के कारण उत्पन्न हुई हो। ऐसा सुधार इस धारा के प्रारम्भ से एक वर्ष के अवधि के भीतर, या इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, जिसका प्रभाव निर्धारित कर को बढ़ाना होगा, तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि संबद्ध अधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना संबद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसको सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया हो।

(3) जहां, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय या अधिकारी ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह किया हो, या ऐसे कर निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह को (पूर्णतः या अंशतः) परिष्कृत, अपास्त या अभिखंडित करने का कोई आदेश दिया हो और ऐसा कर निर्धारण या अन्य आदेश, इस अध्याय के उपबन्धों के परिणामस्वरूप, इस अध्याय द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो जाय वहां उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यवाही का कोई पक्ष या बिक्री-कर कमिश्नर ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से चार मास के भीतर कर-निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए ऐसे अधिकारी या न्यायालय को प्रार्थना-पत्र दे सकता है, और तदुपरान्त ऐसा अधिकारी या न्यायालय कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या पुनरीक्षण करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो इस अध्याय के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण—उपधारा (1), (2) और (3) के प्रयोजनार्थ, धारा 18 और 19 के उपबन्ध भी मूल अधिनियम के संशोधन समझे जायेंगे।

(4) किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) 2 सितम्बर, 1976 से 10 सितम्बर, 1976 की अवधि में,—

(एक) खाद्यान्न जिसमें अनाज और दालें भी सम्मिलित हैं, किन्तु जिसमें सावां, मंडुआ, काकुन और मंझरी सम्मिलित नहीं है, और

(दो) क्रूड आयल के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर उपभोक्ता के हाथ बिक्री के स्थल पर, चार प्रतिशत की दर से कर देय होगा; और

(ख) 1 अप्रैल, 1966 से 30 सितम्बर, 1977 की अवधि में ऊनी कालीन के सूत (जिसमें बिना कता ऊनी धागा, जिसे साधारणतया "देसी काती" कहा जाता है, भी सम्मिलित है) के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर दो प्रतिशत की दर से कर देय होगा।

(5) मूल अधिनियम की धारा 8-क में किसी बात के होते हुए भी, उक्त धारा की उपधारा (1-क) के खण्ड (ग) और (घ) को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित किये गये हैं, कर निर्धारण वर्ष 1976-77 के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए सभी प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में, चाहे ऐसा प्रार्थना-पत्र पहली अप्रैल, 1976 के पूर्व या पश्चात् दिया गया हो, लागू समझा जायेगा।

अध्याय—तीन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन

21—इस अध्याय के उपबन्धों को दिनांक 1 जनवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

22—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में, खण्ड (27) निकाल दिया जायगा। अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की धारा 2 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 3-एए निकाल दी जायगी। धारा 3-एए का निकाला जाना

24—मूल अधिनियम की धारा 11-क निकाल दी जायगी। धारा 11-क का निकाला जाना

25—मूल अधिनियम की धारा 64-क निकाल दी जायगी। धारा 64-क का निकाला जाना

26—मूल अधिनियम की अनुसूची 1-बी में, अनुच्छेद 25-ए निकाल दिया जायगा। अनुसूची 1-बी का संशोधन

अध्याय—चार

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23, सन् 1977

27—(1) उत्तर प्रदेश करावान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित अध्याय दो और तीन में उल्लिखित मूल अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 257 सा० (विधा०)—6-10-78—(2293)—1978—1834+50 SS (मे०)।